

सूडोकू नवताल - 6258

			6	8	5			
1						2		
	2							8
		4						9
6			5					1
2				3				
5					3			
	8					6		
		4	9	1				

कादिनताम

सूडोकू नवताल 6257 का हल

2	4	6	7	9	3	5	8	1
3	1	5	2	8	6	4	7	9
7	8	6	1	5	4	2	3	6
6	5	7	9	3	8	1	4	2
9	3	1	4	7	2	8	6	5
4	2	8	6	1	5	7	9	3
1	9	2	3	4	7	6	5	8
5	7	3	8	6	1	9	2	4
8	6	4	5	2	9	3	1	7

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भर जाने आवश्यक हैं.

■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.

■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.

■ पहेली का केवल एक ही हल है.



प्री मानसून की बारिश हो सकती है कमी भी अकेले धमतरी में छह लाख क्विंटल धान नहीं उठा



धमतरी के संग्रहण केंद्रों में 6.20 लाख क्विंटल धान

प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग रोज आंधी-बारिश की संभावना जता रहा है। ऐसे में जिले के संग्रहण केंद्रों का इस संवाददाता ने जायजा लिया जहां लाखों क्विंटल धान का संग्रहण है। टुकों से धान का उठाव जारी है। धान को सुरक्षित रखने के भी उपाय किए गए हैं। डीएमओ सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि जिले में 4 धान संग्रहण केंद्र हैं। जहां 6 लाख 20 हजार 127 क्विंटल धान शेष है। 15 लाख 66 हजार 111 शेष पेज 8 पर



छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

सिर पर मानसून, अब चिंता 10 जिलों में खुले पड़े 400 करोड़ के धान की, उठाव कम, तनाव ज्यादा

हरिभूमि न्यूज़ 11 रायपुर, धमतरी, भिलाई, राजनांदगांव, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन लाखों क्विंटल धान खुले में पड़ा है। अकेले धमतरी जिले में छह लाख क्विंटल से ज्यादा धान का उठाव नहीं हुआ है। बस्तर संभाग के सात जिले और दुर्ग – राजनांदगांव को शामिल करें तो 10 जिलों में करीब पौने चार सौ करोड़ रुपए का धान संग्रहण केंद्रों में रखा हुआ है। हालांकि संबंधित अधिकारियों का दावा है कि धान को ढंककर रखा गया है, 11 शेष पेज 8 पर



बस्तर में 42 हजार टन से ज्यादा धान

जगदलपुर। मानसून आने को है लेकिन धान संग्रहण केंद्रों में अभी भी 42 हजार टन धान का उठाव नहीं होने से असुरक्षित पड़े हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान समाप्त हुए लगभग छह माह बीत चुके हैं, लेकिन धान का उठाव नहीं हुआ है। बस्तर संभाग में खरीदे गए धान का लगभग 79 प्रतिशत उठाव हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सालों जिलों में 15 लाख 18 हजार 521 टन की धान खरीदी गई, जिसमें से 13 लाख 32 हजार 325.26 टन धान का उठाव हुआ। यदि उठाव नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए का धान खराब होने की आशंका है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शासन ने धान खरीदी के बाद 31 मार्च 11 शेष पेज 8 पर

मार्च में ही उठ गया धान

राजनांदगांव। खरीफ वर्ष 2025-26 के तहत राजनांदगांव जिले में करीबन 62 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। खास लाख से अधिक किसानों से खरीदे गए इस धान का उठाव भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया था। जिसका असर रहा कि जिले में मार्च महीने के अंतिम सप्ताह तक शत-प्रतिशत धान का उठाव कर लिया गया था। उठाव के लिए जिले के ही 81 से अधिक राइस मिलर्स से अनुबंध किया गया था।

खबर संक्षेप

मोदी अच्छे मित्र, जल्द होगा व्यापार समझौता : ट्रंप

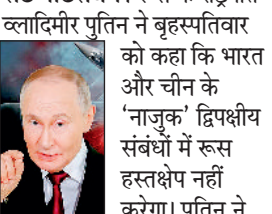
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और उन्हें विश्वास है कि अमेरिका तथा भारत के बीच व्यापार समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने बुधस्पतिवार को 'ओवल ऑफिस' में पत्रकारों से कहा, 'हम समझौते तक पहुंच जाएंगे क्योंकि मैं प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) को बहुत पसंद करता हूं।

बेंगलुरु-मुंबई इंडिगो विमान से पक्षी टकराया मुंबई। बेंगलुरु से मुंबई जाने वाले इंडिगो के एक विमान को शुक्रवार को रनवे पर ले जाते समय उससे एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद पायलट को विमान वापस पार्किंग क्षेत्र में ले जाना पड़ा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों इंजन के निरीक्षण सहित आवश्यक जांच के बाद, एयरबस ए321नियो विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया और एक घंटे से अधिक देरी के बाद उसने उड़ान भरी। विमान में सवार यात्रियों को संख्या के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी है।

‘भारत-चीन के नाजुक संबंधों में हस्तक्षेप नहीं’ सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने



बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और चीन के 'नाजुक' द्विपक्षीय संबंधों में रूस हस्तक्षेप नहीं करेगा। पुतिन ने साथ ही विश्वास जताया कि भारत और चीन काफी समय से लंबित अपने सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

टीएमसी पूर्व विधायक मोल्ला गिरपटार

कोलकाता। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआई) ने भांगर विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध एवं तुलमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने मोल्ला को 'फरार' घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद यह कार्रवाई की। दक्षिण 24 परगना जिले के दक्षिण बामुनिया गांव में 19 मार्च को हुए एक बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

असम : 12 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

गुवाहाटी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। इसमें 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नई कैबिनेट में भाजपा विधायक अश्विनी राय सरकार,

नीलिमा देवी और सुशान्त बरागोहाई को शामिल किया गया है। वहीं, एजीपी के नेता केशव महंत को भी मंत्री बनाया गया है। बिस्वजीत दैमायी भी नई मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं।

बस्तर और सरगुजा में लागू हे होम स्टे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ में होम स्टे की राह आसान, अब नौ कमरे और 18 बिस्तर की होगी अनुमति

हरिभूमि न्यूज़ 11 रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम स्टे नीति 2025-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। संशोधनों के तहत होम स्टे संचालकों को राहत देते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पुलिस प्राधिकरण से अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और निवेशकों के लिए सब्सिडी संबंधी प्रावधानों को भी अधिक आकर्षक बनाया गया है। सरकार का मानना ​​है कि नए बदलावों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को पर्यटन गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी तथा राज्य में वैकल्पिक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा। संशोधित नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पंजीकरण की वैधता से जुड़ा है। पहले होम स्टे का पंजीकरण तीन वर्ष के लिए मान्य होता था, लेकिन अब इसे आजीवन वैधता प्रदान की गई है। इससे संचालकों को बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और प्रशासनिक बोझ भी कम होगा।



छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से लागू की गई होम स्टे नीति में अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब एक होम स्टे इकाई में न्यूनतम एक कमरे से लेकर अधिकतम नौ कमरों और 18 बिस्तरों तक की अनुमति होगी। इससे संचालकों को अपनी क्षमता बढ़ाने और अधिक पर्यटकों को ठहराने का अवसर मिलेगा। पर्यटन

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

राज्य सरकार ने पंजीकरण और प्रोत्साहन संबंधी आवेदनों की प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया है। अब होम स्टे संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अधिकृत पोर्टल, वेबसाइट अथवा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के संचालकों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।



छत्तीसगढ़ में होम स्टे योजना कहां-कहां लागू है

बस्तर संभाग- जगदलपुर और आसपास के दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटकों को स्थानीय आदिवासी संस्कृति, कला और ग्रामीण जीवनशैली का अनुभव कराने के लिए यह योजना लागू है। सरगुजा संभाग- अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में होमस्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। जशपुर जिले में पर्यटन को विकसित करने के लिए 'होमस्टेज ऑफ इंडिया' के सहयोग से विशेष समझौते किए गए हैं, जिसके तहत ग्राम चैरे को आदर्श होमस्टे ग्राम बनाया गया है। मैनापट- 'मिनी लिब्रत' के रूप में मशहूर मैनापट में स्थानीय निवासियों को होमस्टे के लिए घर बनाने व कमरों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान व वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

चुनौतियों, अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कमाल, 7.7% जीडीपी ग्रोथ



हरिभूमि न्यूज़ 11 नई दिल्ली

दुनियाभर में जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। वित्त वर्ष 2025-26 (एफवाय26) में भारत की आर्थिक विकास दर (जीडीपी ग्रोथ) के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स और बाजारों के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पूरे फाइनेंशियल ईयर में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.7 फीसदी दर्ज की गई है। जनवरी से मार्च तिमाही के भारत की जीडीपी ग्रोथ का डाटा जारी हो चुका है।

बैंक डूबा... तो अब पांच लाख नहीं, मिलेगे 7.50 लाख रुपए

केंद्र सरकार बैंकिंग सिस्टम में आम जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाली इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख करने पर विचार कर रही है। हाल के दिनों में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) और यस बैंक जैसे बड़े बैंकिंग संकटों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी थी। हाल ही में आरबीआई द्वारा सर्वोच्च को-ऑपरेटिव बैंक और कार्वाय बैंक को ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद खाताधारकों के मन में अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे।



‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ

सीएमसाय ने राजीव स्मृति वन में लगाया बरगद का पौधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान 2026-27 का शुभारंभ किया। उन्होंने कृष्ण वट (बरगद) का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने भी बेल का पौधा लगाकर अभियान में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में एक प्रेरक पहल है।

अमरनाथ यात्रा के लिए लॉन्च किया गया ‘पहचान ऐप’

क्यूआर कोड से होगी अब श्रद्धालुओं की पहचान

हरिभूमि न्यूज़ 11 नई दिल्ली

अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अंतर्गतनाग पुलिस ने 'पहचान ऐप' लॉन्च किया है। यह एक क्यूआर आधारित मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे यात्रा मार्ग और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर काम करने वाले सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण और सत्यापन के लिए विकसित किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह ऐप मौके पर ही सेवा प्रदाताओं की पहचान और सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके जरिए यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि कोई व्यक्ति अधिकृत और सत्यापित सेवा प्रदाता है या नहीं। इससे यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

सुरक्षा के मद्देनजर अंतर्गतनाग पुलिस की बड़ी पहल

सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा सहारा

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पहचान ऐप के जरिए सभी अधिकृत सेवा प्रदाताओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे यात्रा मार्ग पर काम करने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी प्रशासन के पास उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सत्यापन किया जा सकेगा। यह प्रणाली यात्रा के दौरान पर्यटकों और यात्रादाताओं की पहचान का भी काम करेगी। सेवा प्रदाताओं की पहचान स्पष्ट होने से यात्रियों को भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेंगी और अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।



पहल का मुख्य उद्देश्य

पुलिस का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रा अवधि के दौरान सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। खासतौर पर ऐसे लोगों की पहचान और रोकथाम करना, जो सेवा प्रदाता के रूप में खुद को प्रस्तुत कर यात्रियों या प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं।

मीड प्रबंधन को भी मिलेगी मजबूती

डिजिटल सत्यापन व्यवस्था से यात्रा मार्ग पर मीड प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। व्यवस्थित और नियंत्रित सेवा वितरण से विवाद, अव्यवस्था, अधिक शुल्क वसूली और भीड़भाड़ जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी। अंततः नाग पुलिस का कहना है कि इस पहल का सकारात्मक प्रभाव आम जनता पर भी पड़ेगा। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय नागरिक अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि उन्हें केवल सत्यापित और पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से ही संपर्क करना होगा।

नीट : मुख्य सचिव ने कलेक्टर को दिए दिशा-निर्देश, कई स्तर पर पहरा

पहली बार छग में एयरफोर्स प्लेन से आएंगे प्रश्नपत्र 19 शहरों में 127 केंद्र



हरिभूमि न्यूज़ 11 रायपुर

देशभर में दोबारा आयोजित होने जा रहे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट अर्थात नीट के लिए छग में भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में एयरफोर्स के विमान से प्रश्नपत्र आएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर को दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को परीक्षा के दौरान केन्द्र सरकार एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने कहा है। कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा के पहले ही परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने और परीक्षा के लिए की गई तमाम तैयारियों के 11 शेष पेज 8 पर

छत्तीसगढ़ के 19 शहरों में आयोजन

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में नीट एन- परीक्षा 2026 के लिए 19 शहरों में होगी। परीक्षा के लिए 127 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों से परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां करने एवं सहयोग और समन्वय करने का अनुरोध एनटीए ने किया है।

कलेक्टर कार्यालय में किया गया संलग्न

विधायक संग विवाद में हटाए गए तहसीलदार

हरिभूमि न्यूज़ 11 अग्निबापुर

सीतापुर विधायक एवं राजापुर के नायब तहसीलदार के बीच चल रहे विवाद के थमते ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर नायब तहसीलदार को स्थानांतरित कर दिया है। कलेक्टर ने राजापुर नायब तहसीलदार तुषार मानिक को 3 जून को आदेश जारी कर कलेक्टर कार्यालय में संलग्न किया है। विवाद में नायब 11 शेष पेज 8 पर



ठप हो गए थे कामकाज

कनिष्ठ सेवा के अधिकारियों सहित राजस्व पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के 1 जून से 3 जून तक हड़ताल पर रहने के कारण राजस्व कार्यालयों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए थे। विधायक के दो समर्थकों द्वारा समर्पण करने के बाद हड़ताल का समापन किया गया।

एफआईआर



फिल्मी सीन जैसी तस्करी

ओडिशा से लगती सीमांत बस्तियों से आए तस्कर अब जंगल काटने में पुराने तरीकों को छोड़ चुके हैं पगडंडी छोड़ो, नदी पकड़ो। यही था उनका नया फॉर्मूला, वे चार-चार सागौन के लट्टों को रस्सियों से जोड़ते, फिर उन्हें उदंती नदी की धारा में छोड़ देते। पानी का तेज बहाव उन्हें ले जाता सीधा ओडिशा के सिंदूर शील घाट तक, जहां तस्कर पहले से कमांडो स्टाइल में घात लगाए रहते यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि असली जंगल की असली साजिश थी।

मैनपुर से हसन खान

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उदंती अभ्यारण में लकड़ी तस्करी का एक नया और चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। तस्कर अब 'पुष्पा' मूवी स्टाइल में कीमती सागौन की लकड़ी को उदंती नदी के बहाव के सहारे ओडिशा तक पहुंचा जा रहा था। बताया जा रहा है कि तस्कर नदी किनारे मौजूद उत्तर और दक्षिण उदंती के जंगल से काटे गए लट्टों को बांधकर उनके ऊपर खड़े होकर बहते पानी से सीमा पार कर जाते हैं। यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तस्कर लगातार नए तरीके अपनाकर वन विभाग को चकमा देने लगे हैं। उदंती सीतानदी के जंगल घना है और यहां कीमती लकड़ियों की भरमार है। ठंड और बारिश के दिनों में सुबह-सुबह घाटियों में धुंध ऐसे उतरती है, जैसे कोई सफेद चादर फैला दी गई हो। दूर कहीं से कभी-कभी हल्की सी आरी चलने की आवाज आती है, जो धीरे-धीरे जंगल की सांस में गुम हो जाती है, लेकिन इस बार यहां सिर्फ पेड़ों की सरसराहट नहीं थी, यहां था 'पुष्पा' जैसी हिम्मत, चालाकी और बहादुरी की असली कहानी- उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व जंगल के भीतर एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय था, जो सागौन तस्करी को नए ढंग से अंजाम दे रहा था। नदी के तेज बहाव में लकड़ी बहाकर और उनके लिए हर लट्टु करोड़ों का सपना था, लेकिन वन विभाग की टीम ने शांति तस्करों के मनसूबे पर पानी फेर दिया।



वन विभाग ने अपराधियों के मनसूबे पर पानी फेरा

तीन आरोपी फिर दबोचे गए

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल से कीमती लकड़ी सागौन की तस्करी लंबे समय से पुष्पा स्टाइल से करने वाले तीन आरोपी जो फरार थे। उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है और 03 आरोपियों को ओडिशा राज्य से पकड़कर लाया गया। तीनों आरोपियों को टीम के द्वारा 07 अक्टूबर 2025 को घटना स्थल कक्ष क्रमांक 29 ले जाकर शिनाख्त कराया। इसके बाद आरोपियों का कथन दर्ज किया गया। सभी अपने बयान में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल से सागौन वृक्षों की अवैध कटाई कर लट्टु बनाकर नदी के पानी के माध्यम से और मोटर साइकिल से तस्करी करने का वन अपराध कबूल किए हैं। इस प्रकरण के अलावा पूर्व में भी दक्षिण उदंती एवं उत्तर उदंती परिक्षेत्र के जंगलों से सागौन वृक्षों की अवैध कटाई करना तस्करी करना भी स्वीकार किए हैं। विवेचना अधिकारी मनोज कुमार धुव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कोयंबा के द्वारा नव्यजोव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27.29.31.50.51.52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क ज च के तहत आरोपी तोसुधर हंस पिता सेबा हंस (45), संतोष हंस पिता ईश्वर हंस (31), ओमकार हंस पिता बिनोद हंस (28), राम सेन्टुरसील, पोस्ट नागलबोड, थाना तहसील सीनापाली, जिला नुआपड़ा (ओडिशा) को गिरफ्तार कर न्यायालय देवमोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुष्पा गैंग के तीन आरोपी विद्या, लक्ष्मी, शोमा, राम घुवागुड़ा थाना सीनापाली (ओडिशा) फरार हैं। जिसकी पतासाजी की जा रही है।

उदंती नदी में लकड़ी के लट्टों पर खड़े होकर सीमा पार कर रहे तस्कर



20 से ज्यादा चले ऑपरेशन

ओडिशा के सागौन तस्करों के खिलाफ 2 साल में 20 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए, 80 धरे गए। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व जंगल क्षेत्र से पुष्पा स्टाइल में हो रहे सागौन लकड़ी की तस्करी के मामले को फॉरेंसट डिपार्टमेंट की टीम ने दक्षिण देकर ध्वस्त किया और तस्करों के मंशुबों पर पानी फेरा। साथ ही ओडिशा के तीन तस्करों को गिरफ्तारी भी हुई। पुष्पा स्टाइल में बारिश प्रारंभ होते ही कीमती वृक्षों को काटकर नदी में बहाकर ओडिशा तक पहुंचाने का खेल वर्षों से चल रहा था। गरियाबंद जिले के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के मुख्य उदंती नदी के तेज बहाव में ले जा रहे सागौन लट्टु को वन विभाग के जांबाज कर्मचारियों ने जान जोखिम डाल कर पकड़ा, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में मौजूद कीमती सागौन पेड़ की जमकर तस्करी हो रही थी। उदंती सीतानदी अभ्यारण के अफसर के लगातार दबाव के चलते तस्करी में लगाम लगाया, तो ओडिशा के तस्करों ने नया तरीका खोज निकाला। नवरंगपुर जिले से निकली उदंती नदी अभ्यारण के दक्षिण इलाके से होते ओडिशा के नुआपड़ा जिले में सिंदूर शील और सुनाबेड़ा इलाके की ओर निकलती है। इसी बहाव का फायदा ओडिशा के तस्कर उठा रहे थे। अभ्यारण के उपनिदेशक वरुण जैन को सूचना मिली थी कि दक्षिण उदंती में तस्कर सक्रिय है और नदी के बहाव से तस्करी कर रहे। इसके लिए अफसरों ने घेरा बंदी शुरू कर दी, वन विभाग टीम पर तस्करी की नजर पड़ी तो भाग खड़े हुए, लेकिन विभाग के कर्मियों ने नदी में छलांग लगाकर लट्टु को जब्त कर लिया। तस्कर 4-4 लट्टु को जोड़ नदी में डाल कर बहा रहे थे, जिसे सिंदूर शील घाट पर खींच लेते थे। इस आइडिया को वे अवक मान रहे थे, लेकिन वन विभाग के अफसरों की ने तस्करी की योजना फेल कर दी।

जन्माष्टनी उत्सव से लौटने के बाद दामाद और सास के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गया। मामला बढ़ा और दामाद ने अपनी सास को थप्पड़ जड़ दिया था। अपमान के इस वाकिये ने सास को आक्रोशित कर दिया। रात में जब सभी लोग सो गए, तब सास ने दामाद के सिर पर टंगिया से तब तक वार किया, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई।



पाटन से भूषण देशलहरे

दरबार मोखली कांड



पारिवारिक झगड़े का खूनी अंजाम

गहरी नींद में सोए दामाद को टंगिया से काट डाला

2 साल पहले रानीतराई थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई थी। इस मामले में पारिवारिक झगड़े के चलते एक सास ने अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी सास ने दामाद में टंगिया से ताबड़तोड़ वार किया। हत्या करने के बाद अपनी बेटी के साथ मिलकर शव को एक सूने मकान में छिपा दिया। शव से उठती दुर्गंध के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पृष्ठताछ के बाद आरोपी मां-बेटी ने अपना गुनाह कबूल लिया। इस चर्चित मामले में आरोपी सास भारती वर्मा को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। वहीं मृतक टिकेश्वर देशमुख की पत्नी अनिता देशमुख को हत्या में सहयोगी मानते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सजा के बाद दोनों ही केंद्रीय जेल दुर्ग में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, लेकिन आज भी यह मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला पाटन के व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया था, जहां दो महीने पहले ही अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा कि अभियोगों ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अपराध संदेह से परे सिद्ध किया है। कोर्ट ने माना कि पत्नी अनिता देशमुख ने न केवल अपराध छिपाने में सहयोग किया, बल्कि घटना के बाद सबूत मिटाने का प्रयास भी किया, जो कानून की नजर में गंभीर अपराध है।



हत्या के समय मृतक की पत्नी भी थी मौजूद

पुलिस की जांच में यह पता चला कि भारती ने जब टिकेश्वर की हत्या की, उस समय उसकी बेटी और मृतक की पत्नी अनिता मौके पर मौजूद थी। उसने पति को बचाने के बजाय अपनी मां का साथ दिया। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर शव को घर के पास एक खंडहरगुमा कमरे में छिपा दिया। अगले दिन दोनों ने घर में ताला लगाया और इलाज का बहाना बनाकर दुर्ग चले गए, जिससे किसी को शक न हो। भारती वर्मा ने अपने भाई को फोन कर बताया कि विवाद में वह घायल हो गई है और इलाज के लिए जा रही है। साथ ही उसने दामाद के घायल होने की भी बात कही और उसे देखने के लिए भेजा, जब वह गांव पहुंचा तो घर बंद मिला। कोटवार के साथ अंदर जाकर देखा तो शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में बीएसएफ की धारा 103 और 238(3)(5) के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मामले में भारती वर्मा (सास) की धारा 103 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 238(3)(5) के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं अनिता को धारा 238(3)(5) के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

2024 में गांव के एक सूने मकान में मिली थी लाश

मामला 2024 का है, 29 अगस्त की सुबह खबर मिली कि ग्राम दरबार मोखली में एक बंद घर से तेज दुर्गंध आ रही है। तत्कालीन सरपंच ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे कोटवार और ग्रामीणों ने ताला तोड़कर अंदर जाकर देखा, जहां एक सड़ी-गाली लाश मिली। शव की पहचान 30 वर्षीय टिकेश्वर देशमुख के रूप में हुई, जो उसी घर में अपनी पत्नी अनिता और सास भारती वर्मा के साथ रहता था। सूचना मिलते ही रानीतराई पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहले तो पत्नी और सास ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, इसके बाद दोनों टूट गए। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को जन्माष्टनी उत्सव से लौटने के बाद टिकेश्वर और उसकी सास भारती के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान टिकेश्वर ने अपनी सास को थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे वह आक्रोशित थी। रात में जब सभी लोग सो गए, तब भारती वर्मा ने टंगिया से दामाद टिकेश्वर के सिर पर कई वार किए और टिकेश्वर को मौत के घाट उतार दिया।

जिस कार चालक पर कारोबारी भरोसा करता था, उसी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची। मकसद था, सराफा दुकान की चाबी हासिल कर करोड़ों के जेवर पर हाथ साफ करना और भारी कर्ज से छुटकारा पाना।



कोरबा से नागेंद्र श्रीवास

कर्ज में डूबे चालक ने रची 'सेठ' की मौत की साजिश

सराफा कारोबारी हत्याकांड: दो सगे भाई समेत तीन गिरफ्तार

करीब छह दिन तक चली ताबड़तोड़ जांच, 370 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और 12 पुलिस टीमों की लगातार मेहनत के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी। मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 5 जनवरी 2025 को सीएसईबी चौकी क्षेत्र के लालराम कॉलोनी स्थित घर में सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने स्वयं जांच की कमान संभाली और अलग-अलग टीमों बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुरांग मिले। इसके आधार पर मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कुआंभट्टा निवासी मोहन मिंज को हिरासत में लिया गया। पृष्ठताछ में मिले इनपुट के बाद आकाश गिरी गोस्वामी को पकड़ा गया। दोनों से पृष्ठताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड आकाश का बड़ा भाई सूरज गिरी गोस्वामी था, जो पहले कारोबारी के यहां कार चालक रह चुका था।

पहले चोरी की योजना, फिर बन गया मर्डर प्लान

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 25 दिसंबर 2024 को ही योजना बना ली थी। उनका मकसद पहले घर से अटैची और दुकान की चाबी चोरी करना था, ताकि बाद में एसएस प्लाज स्थित अमृता ज्वेलर्स में बड़ी चोरी की जा सके। एक बार आरोपी घर तक पहुंचे भी थे, लेकिन भौंडझाड़ के कारण सफल नहीं हो पाए। इसके बाद दोबारा योजना बनाई गई। घटना वाले दिन आकाश गोस्वामी ने अपने भाई सूरज को सूचना दी कि कारोबारी घर में अकेले हैं। इसके बाद सूरज और मोहन घर के अंदर घुस गए।

पहचान खुलने का डर बना हत्या की वजह

बताया गया कि गोपाल राय सोनी ने जैसे ही सूरज गोस्वामी को पहचान लिया, आरोपियों को लगा कि अब उनका राज खुल जाएगा। इसके बाद दोनों ने कारोबारी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी अटैची और घर का डीवीआर लेकर भाग निकले। हालांकि बाद में अटैची में दुकान की चाबी नहीं मिलने पर उनके होश उड़ गए। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने अटैची को दर्रा बैराज में फेंक दिया।

12 टीमों ने सुलझाई गुत्थी

अंधे कल्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए जिला पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में 70 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की 12 टीमों बनाई गई थी। अलग-अलग टीमों ने शहर और आउटर इलाके के 370 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के एनालिसिस और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस संदिग्धों तक पहुंच सकी।

मेडिकल और मृत्यु दावा बीमा की राशि नहीं मिलने से होती है मानसिक और शारीरिक पीड़ा, यह सेवा में कमी

एचडीएफसी बीमा कंपनी को करना होगा 9,60,749 ठपपे का भुगतानए उपभोक्ता फोरम ने परिवारी के पक्ष में दिया फैसला, सिंधी कालोनी का मामला

बिलासपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने जीवन बीमा मृत्यु दावा के एक मामले में एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवॉटेंज कंपनी को 9,60,749 रुपए देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 45 दिन के अंदर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट एवं पीड़ा के प्रतिकर के रूप में 10 हजार रुपए, वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए का अलग से भुगतान करना होगा।

प्रकरण के मुताबिक यह परिवाद सिंधी कालोनी, बिलासपुर निवासी जितेन्द्र खुशलानी ने दायर की थी। इसके मुताबिक बीमा कंपनी एचडीएफसी ने उनको मां श्रीमती आरती खुशलानी का चिकित्सा बीमा एवं जीवन बीमा मृत्यु दावा स्वीकार नहीं कर सेवा में कमी की है। याचिका में कहा गया कि एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवॉटेंज कंपनी से मई 2020



में पालिसी ली गई। पालिसी के अनुसार चिकित्सा बीमा हेतु 5 लाख 10 हजार और मृत्यु दावा जोखिम 5 लाख 27 हजार रुपए स्वीकार की गई थी। नियमित रुप से प्रीमियम का भुगतान भी किया जाता रहा है। परिवारी की माता का स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर में दिसंबर 2021 को भर्ती कराया गया। यहाँ 20 हजार 110 रुपए का मेडिकल बिल बना। इसके श्रीमती आरती खुशलानी को जसलोक हॉस्पिटल एण्ड रिचर्स सेंटर मुम्बई में 8 दिसंबर 2021 को भर्ती किया गया।

बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारी, शिक्षक ने खुद की अपने केस की पैरवी

बिलासपुर। बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए एक व्याख्याता ने न सिर्फे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि अपने मामले की पैरवी भी खुद की। हाईकोर्ट ने शिक्षक की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को उनके स्थानांतरण आवेदन पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

याचिका के मुताबिक मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाई स्कूल मरकेली में पदस्थ व्याख्याता गया राम दुबे ने किसी अधिकवक्ता की सहायता लेने के बजाय स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ को बताया कि उनके बच्चे भिलाई में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और परिवार में उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। वर्तमान पदस्थापना स्थल और भिलाई

के बीच लगभग 150 किलोमीटर की दूरी होने से उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

दो महीना बीता, आवेदन पर नहीं हुई सुनवाई

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जून 2025 में उनका तबादला बालोद जिले के कुमुदकट्टा से मरकेली किया गया था। करीब एक वर्ष तक सेवा देने के बाद उन्होंने एक अप्रैल 2026 को दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा के समक्ष बालोद या दुर्ग जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन विभाग ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने भी आवेदन पर निर्णय लेने के अनुरोध का विरोध नहीं किया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन विभाग के समक्ष लंबित है, तब उसे अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने संयुक्त संचालक को 45 दिनों के भीतर कानून के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

बिलासपुर। सहकारी समितियों में धान खरीदी के दौरान लाखों रुपए की धान की कमी के मामले में समिति प्रबंधकों की अजीबोगरीब दलीलों को हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है। दुर्ग जिले के कुम्हाली स्थित सेवा सहकारी समिति में 23 लाख रुपए से अधिक की धान और बारदानों की कमी के मामले में प्रबंधक द्वारा दायर याचिका को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि धान ‘चूहे खा गए’, उसमें ‘कीटों का प्रकोप’ था और ‘अत्यधिक सूखापन’ के कारण वजन घट गया, लेकिन कोर्ट ने इसे जांच का विषय मानते हुए हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। प्रकरण के मुताबिक खाद्य और सहकारिता विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2026 को किए गए भौतिक सत्यापन में दुर्ग की कुम्हाली समिति में 690.70 क्विंटल धान और 3,057 बारदानों की भारी कमी पाई गई थी। इसका बाजार मूल्य लगभग 23.54 लाख रुपए है। इस मामले में समिति प्रबंधक अतुल कुमार

वर्मा के खिलाफ धारा 316(5) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की। बचाव में तर्क दिया कि धान की कमी के पीछे कोई आपराधिक मंशा नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक और अपरिहार्य कारणों का परिणाम है।

आपराधिक जांच को नहीं रोका जा सकता

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि, यह जांच का विषय है कि क्या कमी वास्तव में प्राकृतिक कारणों से हुई या यह लापरवाही और गबन का मामला है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि केवल अनुबंधीय विवाद का हवाला देकर आपराधिक जांच को शुरुआती दौर में ही नहीं रोका जा सकता। साथ ही हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए जमानत के दरवाजे खुले रखे हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है।

पीएससी और डीएलएड की परीक्षा एक ही दिन टाइम टेबल बदलने से हाईकोर्ट का इनकार

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियां एक ही दिन टकराने के मामले में परीक्षा समय-सारणी को बदलने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। दरअसल कवर्था निवासी कु.अंजनी यादव और बिलासपुर निवासी महेंद्र कुमार पटेल ने रिट याचिका दायर कर बताया था कि 8 जून को सीजीपीएससी मेंस और डीएलएड दोनों की परीक्षा एकसाथ आयोजित की जा रही हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकर्ता दोनों

परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित

परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और दोनों में ही परीक्षाओं में शामिल होने में दिक्कतें आएंगी। एक ही तिथि और एक ही समय में परीक्षाओं के आयोजन के चलते एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को 8 जून को होने वाली डीएलएड की परीक्षा को किसी अन्य तिथि पर पुनर्निर्धारित करने का आदेश देने की मांग हाईकोर्ट से की थी। समय-सारणी को बदलना व्यावहारिक नहीं

माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से पैरवी करते हुए अधिकवक्ता ने कहा कि मंडल की ओर डीएलएड परीक्षा का अयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता पीएससी मुख्य परीक्षा के कारण 8 जून को इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो वे इसी वर्ष नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली आगामी डीएलएड परीक्षा में बैठ सकते हैं। माशिम के अधिकवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसके पहले भी जब ऐसी परिस्थिति बनी थी तब सीजीपीएससी ने अपनी परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया था। चूंकि छात्रों के पास नवंबर में दूसरा अवसर उपलब्ध है, इसलिए पूरी समय-सारणी को बदलना व्यावहारिक नहीं होगा। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई करने की मांग

रायपुर। संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने मांग है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, सम्मान, न्याय और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार इस समाज की पीड़ा को समझेगी, भेदभाव नहीं करेगी और न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। इस मौके पर समाज के प्रदेशाध्यक्ष प्रभारकर सोनी ने बताया कि लगातार आंदोलन, झांपन, मीडिया के माध्यम से सूचना देने और शासन-प्रशासन का ध्यान आकषित करने के बाद भी आज स्थिति अतृप्त चित्तानुक बनी हुई है। मसीही समाज के लोगों को उनके ही घरों से निकाला जा रहा है, पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, खेतों में काम करने से रोका जा रहा है, घरों और प्रार्थना स्थलों को तोड़ा जा रहा है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे					
भंडार विभाग					
ई-टेंडर नोटिस न. एन.आई.टी./14/26/21, तिथि:-26-मई-2026					
Sr. No.	Tender No.	Description	Tender Closing /Opening Date & Time	Qty.	
1	02261904	आईओएच फिट कॉर एएम 12/आईआर 01/ पैन 01 चन्द्रोद्गारस.	15.06.2026 At 10:30 hrs	210 नग	
2	06260109A	मैनुफैक्चर एंड सप्लाय ऑफ एलर्लीन कोर्ड रैमिकोसंड बीआरएसपी कॉर लीड पोसिग ऑफ 1 इन 8.5 ओ.आर. टर्नआउट फॉर 52 के.जी. एण्ड 80 ई1	10.06.2026 At 10:30 hrs	1090 सेट	
3	03262057B	बोस्टर लाईनर फॉर कसनब 22 बोमी दू आरडीएसओ डीआरवी. नं. डब्ल्यूडी-89067-एस-4, आएम नंबर 2 .	09.06.2026 At 10:30 hrs	123880 नग	
4	03263163	कॉन्स्ट्रैट कॉन्ट्रेक्ट साईड बेयरर फॉर फेट बोमी (आरडीएसओ डिजाईन) दू स्पेसि. डब्ल्यूडी-62-मिस-17, रेव-1 ऑफ जुलाई 2025 बेरिक्ट-बी	16.06.2026 At 10:30 hrs	5000 सेट	
5	07262434	मैनुएल मेल अर्क वेडिंग क्लास एम2, टाईप ऑफ कोटिंग: हेवी, स्पेसि.नं. आईआरएस: एम-28/ 2020, कोड एच पर आईएस: 5206-2003:ई 19.9 एलआर 26: साईन: 4 एएमए X 350 एएमए.	15.06.2026 At 10:30 hrs	803102 मीटर	
6	03262320	लोक फॉर सीबीसी फॉर बॉक्सपनएचएल गैमन दू आरडीएसओ डीईन1.	09.06.2026 At 10:30 hrs	21060 नग	
7	03262007A	सेटर थिगेट बफर दू आरडीएसओ डीआरवी.नं. डब्ल्यूडी-85079-एएम-2,आएम नं.4, एल्ट.-27	19.06.2026 At 10:30 hrs	64675 नग	
8	07261576	जेनियम बर (आरएलए-5010) पी.यू. बैस चेट एच पर आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नं. एम एंड सी/पीसीएन / 109/2020 विच आरडीएसओ स्पेसिफि नं. 1 बी	22.06.2026 At 10:30 hrs	71866 मीटर	
9	04261196	अगील स्टैंडिंग फॉर कंडक्टर	16.06.2026 At 10:30 hrs	14700 के.जी.	
10	06265087	रनिंग कॉन्ट्रेक्ट फॉर मैनुफैक्चर एंड सप्लाय ऑफ पीएससी स्टीपर फॉर 1 इन 12 एंड 1 इन 8.5 टर्नआउट.	16.06.2026 At 10:30 hrs	1339 सेट	
11	02265008	सेट ऑफ फिल्टर एसेंबली फॉर डब्ल्यूएजी-9 लोको दू स्पेसि.नं. सीएचएडब्ल्यू/एमएस/3/012, एल्ट.-6.	22.06.2026 At 10:30 hrs	40 सेट	
12	03262673	यांक फॉर अग्रेगैटेड हाई टेन्साईल सेटर बफर कार्बन फॉर बॉक्सपनएचएल/बीसीएनएचएल गैमन	25.06.2026 At 10:30 hrs	11740 नग	

रेलवे को किसी निधिदा के लिए शुद्धियर जारी करने का अधिकार है, शुद्धियर और ई-खरीद की जरूरी सूचना वेबसाइट **www.irps.gov.in** पर देख सकते हैं।

सीपीआर /10/AM/159 सहायक सामग्री प्रबंधक-III द.पू.मध्य रेलवे, बिलासपुर

f South East Central Railway **X** @secrail

राजधानी के 80 प्रतिशत से ज्यादा होटल और लॉज बारूद के ढेर

हरिभूमि न्यूज >>> रायपुर

दिल्ली के होटल में आगजनी की घटना ने रायपुर के गोल बाजार में नौ साल पूर्व तुलसी होटल में आगजनी की घटना की याद ताजा कर दी है। आगजनी की घटना में पांच कारोबारियों की मौत हो गई थी। दिल्ली के होटल की तरह तुलसी होटल में कई कारोबारियों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई थी। होटल में ठहरे ज्यादातर कारोबारियों की मौत दम घुटने से हुई थी। राजधानी के ज्यादातर होटल सुरक्षा आडिट कराने में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में किसी होटल, गेस्ट हाउस या लॉज में आगजनी की घटना होने पर बड़ी अनहोनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

राजधानी में छोटे-बड़े होटल के अलावा लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट तथा क्लब की संख्या दो हजार से ज्यादा है। फायर ब्रिगेड के अफसरों के अनुसार सौ के करीब होटल संचालकों ने फायर ऑडिट कराया है। उल्लेखनीय है कि फायर ऑडिट का ठेका वर्तमान में चार निजी कंपनियों को दे दिया गया है। पूर्व में सरकारी ऑडिट होने पर होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, रेस्टोरेंट संचालकों ने फायर ऑडिट कराने ध्यान नहीं दिया। इस स्थिति में इन होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पब संचालकों द्वारा निजी ठेका कंपनी से फायर सिक्यूरिटी ऑडिट कराने को लेकर संशय है।

सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेशन रोड के होटल, लॉज

स्टेशन रोड के आसपास जितने लॉज, गेस्ट हाउस तथा ज्यादातर होटल हैं, वो सभी तंग गलियों में हैं। यहां आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचना मुश्किल है। महज पांच से छह फीट गली के अंदर लॉज, गेस्ट हाउस के साथ होटल संचालित किए जा रहे हैं।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष का जताया आभार

रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन द्वारा बैंक के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा को उनके प्रयासों के लिए आभार जताया गया है। इस मौके पर बैंक कर्मचारियों ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की विभिन्न शाखाओं में कार्यालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृति काफी लंबी अवधि से विचाराधीन था। बैंक के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा द्वारा पंजीयक कार्यालय से लगातार संपर्क कर शाखा दरबा 60.70 लाख रुपए, शाखा नारी 52.25 लाख, शाखा झलप 60 लाख एवं शाखा कोर्स 50

अवैध परिवहन में संलिप्त 4 हाईवा जब्त

रायपुर। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाई की जा रही है। कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को आरंग विकासखंड के मंदिर हसीद क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाते हुए 4 हाईवा वाहन को पकड़ा। इसमें 3 वाहन में रेत और 1 में मुरुम मरा हुआ था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभिलाषा पैकरा के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की टीम ने यह कार्यवाई की। सभी वाहन को जबती बनाकर मंदिर हसीद थाना के सुपुर्द किया है।

SAINIK SCHOOL AMBIKAPUR (CHHATTISGARH)					
(Under the aegis of Sainik Schools Society, New Delhi and Affiliated to Central Board of Secondary Education)					
(Phone No - 07774-261609, E-Mail : ssambikapur@sainikschoolsociety.in)					
RECRUITMENT OF STAFF					
1. Applications are invited from eligible candidates for the following posts					
Sl No	Post	No. of Post/Category	Pay Scale	Age	Date of Selection Test
Regular Scale					
1.1	Trained Graduate Teacher (TGT) English	01 (UR)	Level-7 of 7 th CPC (Entry Scale)	21-35 years as on 01 Aug 2026	06 July 2026 (Monday)
Essential Qualification. 1.1.1. Four years integrated degree course from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B.Ed component. (OR) Bachelors/Honours Degree from a recognized institution/university with at least 50% marks in concerned subject, combination of subjects and also in aggregate. (AND) B.Ed. Degree from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks. (OR) Three years Integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized Institution/university with at least 50% marks. (OR) Post-Graduation in concerned subject/any specialization in concerned subject with a minimum 55% marks or equivalent grade provided that the candidate has studied the subject(s) mentioned in the note below at the graduation level and three years integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution/ University with at least 50% marks. 1.1.2 Qualified in the Central Teachers Eligibility Test (Paper-II) conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE). Note. Studied English as an Elective/Main Subject in at least 03 years/06 semester of the course. Desirable Qualification. (i) Knowledge of Computer (ii) Teaching Experience (iii) Working Knowledge of English					
Contractual Basis					
Sl No	Post &	No. of Post/Category	Monthly Remuneration (Consolidated)	Age	Date of Selection Test
1.2	Medical Officer	01 (UR)	84,960/-	18-50 years as on 01 Aug 2026	07 July 2026 (Tuesday)
Essential Qualification. MBBS Degree from a recognized institution along with registration with Medical Council of India.					
1.3	Nursing Sister (Female only)	01 (ST)	40,800/-	18-50 years as on 01 Aug 2026	07 July 2026 (Tuesday)
Essential Qualification. Diploma/Degree in Nursing with registration in the Indian Nursing Council/States Nurses Registration Council.					

2. For further details viz Perks, Application Form, recruitment process etc, visit the school website "www. sainikschoolambikapur.org.in".

3. **For Contractual Posts only.** Tenure of contractual appointment will be 11 months from the date of appointment, extendable to maximum period of three years on the basis of performance review and school's requirement on yearly basis. After completion of 11 months, one-month break every year. Vacation pay will not be applicable for the contractual posts.

4. Application Form downloaded from the school website only will be considered. Applicants are to clearly mention their E-mail ID and Contact Number in the application form.

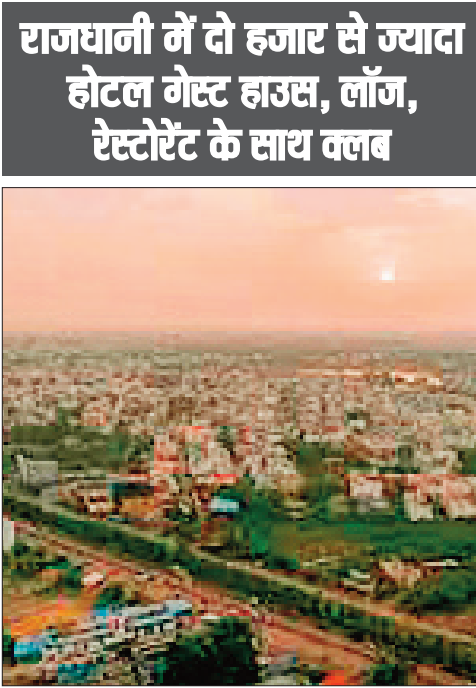
5. Eligible and interested candidates can submit the prescribed application alongwith registration fees (non refundable) worth Rs 500/- for regular post and Rs 300/- for contractual posts and self-attested copies of certificates/ testimonials. The registration fee is to be remitted to the Principal, Sainik School Ambikapur through RTGS/NEFT/other digital payment modes only (SBI Bank Account Number 37923027067, IFSC Code SBIN0000310).

6. The prescribed application and all relevant documents should reach this office within 21 days from the date of publication of this advertisement. The school will not be responsible for any postal delay.

7. Duly completed applications received through email may also be considered subject to receipt of the prescribed registration fees on or before the last date for submission of applications.

8. The school administration reserves the right to cancel the recruitment process for any post at any time or reject incomplete applications without intimation. The School administration reserves the right to cancel all or any of the vacancies due to non-availability of suitable candidates or administrative / policy reasons.

PRINCIPAL



इन फायर सिक्यूरिटी फीचर्स का सख्ती से पालन करना है

फायर नार्म्स के तहत होटल, क्लब, रेस्टोरेट, लॉज, गेस्ट हाउस संचालन करने वाले संचालकों को फायर नार्म्स के अनुसार एक्स्टिंग्विशर फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, सफ़िकल सिस्टम, फायर होज रील, इमरजेंसी एजिजेंट, इमरजेंसी लाइटिंग, फायर कंट्रोल रूम, रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी, फायर ब्लैकेट, इमरजेंसी इवैक्यूएशन डीजी सेट, इलेक्ट्रिकल पैनल व किचन में विशेष अग्नि सुरक्षा के उपाय होना चाहिए। इसके बाद ही ओके फायर ऑडिट रिपोर्ट मिलती है। 90 प्रतिशत से ज्यादा होटलों में फायर सिक्यूरिटी फीचर्स नहीं है।

लाख, शाखा कार्यालय निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति प्राप्त की गई है। साथ ही उनके प्रयासों में शाखा धमतरी में शाखा भवन के उन्नयन एवं जिला नोडल कार्यालय निर्माण के लिए 38.82 लाख एवं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बैंक की शाखा झलप के लिए दानदाता बलविंदर सिंह सलूजा, गोल्डी सलूजा एवं सुभाष कुमार पटेल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैंक को शाखा कार्यालय भवन निर्माण के लिए 2604 वर्गफीट जमीन दान दी गई है। शाखा भवन की स्वीकृति प्राप्त होने पर दानदाताओं के भावनाओं का सम्मान हुआ है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

भ्रष्टाचार के मामलों में अब 45 दिनों में मिल सकेगी मुकदमे की अनुमति

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बना दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब सरकारी विभागों को तय समय-सीमा के भीतर अभियोजन से जुड़े फैसलों का निपटारा करना अनिवार्य होगा। खास बात ये है कि यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को लगता है कि मामला अभियोजन योग्य है, तो उसे आवेदन मिलने की तारीख से 45 दिनों के भीतर स्वीकृति जारी करनी होगी । इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष सभी संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टर और सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। यह भी साफ़ किया गया है कि यदि प्राधिकारी अन्वेषण अधिकरण की राय से असहमत हैं, तो उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी असहमति के ठोस कारणों के साथ मामला विधि विभाग को भेजना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को अधिकतम 3 महीने (90 दिन) की समय-सीमा में पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।



क्या है नए नियमों का मुख्य आधार

सरकार ने इस दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया है कि अभियोजन स्वीकृति का निर्णय लेते समय संबंधित अधिकारी को अपने विवेक का उपयोग करना होगा और एक 'स्पिकिंग ऑर्डर' जारी करना होगा । स्वीकृति आदेश की नोटशीट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध बयानों, जख्ती मेमो और अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है । निजी परिवाद के मामलों में, संबंधित लोक-सेवक को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा ।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए विशेष प्रक्रिया

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामलों में विधि विभाग प्रशासकीय विभाग के अभिमत का परीक्षण करेगा और समन्वय के बाद आदेश प्राप्त करेगा । सरकार ने इस आदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों और मानवदेय पर काम करने वाले कर्मियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है । चूंकि राज्य सरकार या कोई सरकारी निकाय इनका सीधे नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी नहीं होता है, इसलिए इन श्रेणियों के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में सीधे अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।

साक्ष्य के लिए बार-बार बुलाने की जरूरत नहीं

नए नियमों के तहत, अभियोजन स्वीकृति के आदेशों को लोक दस्तावेज माना गया है। इसका मतलब यह है कि इसे अदालत में प्रमाणित करने के लिए संबंधित अधिकारी को बार-बार साक्ष्य देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, यदि आरोपी आदेश की वैधानिकता या अधिकारी की सक्षमता को चुनौती देता है, तो न्यायालय कानून के प्रावधानों के तहत अधिकारी को तलब कर सकता है।

7 माह पहले छापा, 26 नाबालिग बच्चे रेस्क्यू फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर नहीं

हरिभूमि न्यूज़: रायपुर।

कानूनन नाबालिग बच्चों से श्रम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत अर्थदंड से लेकर जेल का भी प्रावधान है, लेकिन सिस्टम कहीं न कहीं तब बेबस हो जाता है, जहां अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, अपराध दर्ज तक नहीं किया जाता। ऐसा ही मामला नाबालिग बाल क्षेत्र का है, जहां करीब 7 महीने पहले मोजा मशरूम फैक्ट्री में महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा था। इस छापेमारी में मानवाधिकार आयोग दिल्ली से आए सदस्यों की टीम भी शामिल थी। इस दौरान फैक्ट्री से लगभग 109 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें 26 बच्चे नाबालिग मिले। इन सभी बच्चों को अच्छी इकम का लालच देकर ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी तथा एमपी से लाया गया था। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रतिवेदन बनाया था, जिसमें फैक्ट्री के संचालक एवं ठेकेदार को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने इतने महीने गुजरने के बाद भी अब तक दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है।

भारतमाला परियोजना घोटाला के आरोप में जेपी गांधी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में ईडी ने घोटाला में शामिल महत्वपूर्ण आरोपी अभनपुर निवासी जमीन दलाल जयप्रकाश गांधी को मनी लाँड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जेपी गांधी के निवास पर ईडी ने 27 अप्रैल को छापे की कार्रवाई की थी। छापे की कार्रवाई के बाद ईडी की यह पहली गिरफ्तारी है। जेपी के घर छापे के पूर्व उसके भाई गोपाल गांधी के घर ईडी छापे की कार्रवाई करने पहुंची थी।



छापे की कार्रवाई के दौरान ईडी को जेपी गांधी के निवास से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य तथा संदिग्ध ट्रॉजैक्शन की जानकारी मिली थी। आरोप है कि हरमीत खन्नुजा तथा जेपी गांधी तथा घोटाला से जुड़े अन्य जमीन दलाल घोटाला किया और किसानों को मुआवजे की आधी राशि ही दी, जबकि बाकी रकम खुद रख ली। ईडी द्वारा जारी बयान के मुताबिक यह प्रकरण एसीबी, ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। ईडी को जांच में पता चला है कि उजय प्रकाश गांधी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों और कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर, नोटिफाइड हाईवे अलाइनमेंट के दायरे में आने वाली जमीन खरीदी और बाद में उस जमीन को 500 वर्ग मीटर से कम के छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जांचकर्ताओं का मानना है कि जमीन का यह बंटवारा जान-बूझकर किया गया था, ताकि मुआवजे से जुड़े प्रावधानों का फायदा उठाया जा सके और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से काफी ज्यादा मुआवजा हासिल किया जा सके।

बड़े बकायादारों पर कड़ा रुख जोन कमिश्नरों को रोज 1 करोड़ वसूली का टारगेट

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों को संपत्ति कर के बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर बकाया राशि वसूली में कड़ाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी 10 जोन को मिलाकर प्रतिदिन एक करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है।

महात्मा गांधी सदन में गुरुवार को निगम आयुक्त ने समय-सीमा बैठक लेकर विभिन्न विषयों की बिंदुवार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए।

छोटे कमरे में 15 बच्चों को ठूस-ठूस कर कराया जा रहा था काम

महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि मोजा मशरूम फैक्ट्री में 26 नाबालिग बच्चों में 14 लड़के एवं 12 लड़कियां शामिल थीं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फैक्ट्री में छोटे-छोटे कमरे बने हुए हैं, जहां 15-15 बच्चों से ठूस-ठूस कर काम लिया जा रहा था। इस जांच में एक-दो बालिग लड़कियों ने विभागीय अधिकारियों को फैक्ट्री के ठेकेदार पर छेड़छाड़ एवं अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया था। हालांकि जांच प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है कि नहीं, इस संबंध में जानकारी सामने नहीं आई है।

एफआईआर करने से बच रही

पुलिस, 7 माह में जांच पूरी नहीं

जिस छापेमारी में महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, पुलिस, यहां तक की मानवाधिकार आयोग की केंद्रीय टीम भी मौजूद थी, उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा मामले में एफआईआर नहीं किया जाना समझ से परे है। हालांकि पुलिस का अभी भी यही कहना है कि इस मामले में जांच जारी है।

जांच पूरी होने के बाद ही एफआईआर की जाएगी। विभाग के अनुसार इस फैक्ट्री से पूर्व में भी जांच कर बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। उस समय भी इस मामले में संचालक-ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

पुलिस जांच जारी बता रही

जांच के आधार पर फैक्ट्री संचालक एवं ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए थाने में प्रतिवेदन दे चुके हैं। इसके लिए 8 से 10 बार थाने भी गए हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच जारी होने की बात कहकर एफआईआर नहीं कर रही है।

– संजय निराला, संरक्षण अधिकारी,

महिला बाल विकास विभाग, रायपुर

अर्थदंड एवं जेल का प्रावधान

जांच के दौरान नाबालिग बच्चों से काम कराना पाया था। ऐसे अपराध के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए तक का अर्थदंड एवं जेल का प्रावधान है। फैक्ट्री में दोबारा इस तरह का मामला मिला है। इसमें सजा का प्रावधान ज्यादा है।

– देवेंद्र देवांगन, जिला अधिकारी, श्रम

विभाग, रायपुर

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा हमें गर्व है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) देश की पहली और अभी तक की एकमात्र माज्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है, जो 6 जून के जंतर-मंतर के सीजेपी प्रदर्शन में भाग ले रही है।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड जिला कार्यालय - त्रिभूति कालोनी, महासमुंद छ.ग.

GST NO. 22AACCC1772CIZB

Email ID - dmnanmsmd@gmail.com

क्रमांक / परिवहन निविदा/2026-27/316

महासमुंद, दिनांक 05.06.2026

// ई-निविदा सूचना //

निगम द्वारा जिला महासमुंद के द्वारा प्रदाय परिवहन एवं लंबी दूरी परिवहन कार्य हेतु प्रतिष्ठित परिवहनकर्ताओं / निविदाकारों से खरीफ विणन वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिये निगम कार्पोरेशन के निभारित संबन्धित ई-परिवहन निविदा दस्तावेज (जिसमें विस्तृत निविदा/शर्त आदि वर्णित है) अनुसार जेम पोर्टल (GEM) वेबसाईट के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया जाता है :-

Particular	Date	Time	Center Name	Bid No.	Remark
Bid Start Date	08.06.2026	11:00 AM	बागबाहरी (द्वार प्रदाय परिवहन कार्य)	GEM/2026/B/7623895	Third Tender
Bid Due Date	17.06.2026	5:00 PM	सरायपाली (द्वार प्रदाय परिवहन कार्य) बिथौरा (द्वार प्रदाय परिवहन कार्य)	GEM/2026/B/7624023	
Bid Open Date from	17.06.2026	5:30 PM	लंबी दूरी परिवहन कार्य (जिला-महासमुंद)	GEM/2026/B/7622453	Fourth Tender
				GEM/2026/B/7624139	

ई-निविदा के निगम, शर्त एवं विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://gem.gov.in एवं राज्य सरकार की वेबसाईट www.cgstate.gov.in एवं http://mahasamund.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला प्रबंधक

सं. 48043

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

"ग्राउप-ख" (नियम 5 का उपनियम (1)) अधिसूचना							
राजस्व प्रकरण क्रमांक 202605042100008/बी-121/2025-26. राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराही, प.ह.नं. 34 तहसील डभरा, जिला सबरी, से जंग परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील- पुरोरी, जिला- रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है। और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सराईपाली प.ह.नं. 33 तहसील पुरोरी जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए। अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। अनुसूची : ग्राम- सराईपाली, तहसील-पुरोरी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)							
खसरा नं.	अर्जित भूमि (हेक्ट. में)	खसरा नं.	अर्जित भूमि (हेक्ट. में)	खसरा नं.	अर्जित भूमि (हेक्ट. में)	खसरा नं.	अर्जित भूमि (हेक्ट. में)
283	0.056	139/2	0.220	31	0.061	52/4	0.078
170/2	0.023	160/2		128	0.040	55/1ग	0.130
170/4	0.008	136/4	0.065	127/2	0.024	55/1ग	0.049
171/1	0.020	138	0.040	127/1	0.021	55/1ग	0.012
171/2	0.012	139/3	0.021	54	0.140	51/3	0.162
163/1	0.241	160/3		130/2	0.065	55/1/ख	0.101
173/3	0.091	140/1	0.016	43/3	0.053	55/3	0.004
173/4	0.144	140/2	0.269	43/2	0.065	61/1	0.032
173/7	0.093	141	0.132	43/4	0.061	56/2	0.202
176	0.083	152	0.152	44/2	0.020	60/3	0.028
177	0.093	153/1		44/1	0.121	66/2	0.135
180	0.021	147/1		46/4	0.061	75	0.132
179/4	0.061	148/1		41/2	0.049	60/2	0.045
179/3/क	0.057	157		39	0.061	72/1	0.084
179/3/ख	0.023	158		47/1	0.061	73	0.126
185/2	0.141	147/2	0.061	48/3	0.210	70	5.769
185/3	0.020	148/2		48/1	0.020		
161/1	0.149	150/2	0.261	49/1	0.258		
161/2	0.045	129	0.338	51/4	0.102		
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।							
(हस्ता शर्मा) सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)							
जी-262701243/2							

MUNICIPAL CORPORATION Raipur
OFFICE OF THE COMMISSIONER
e-Procurement Tender Notice
Main Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>

NIT NO: 23 /PWD/Zone-1/2026

(2nd call)

RAIPUR DATED: 05/06/2026

Online bids are invited for the following works of works up to 22/06/2026 at 17:30 hours.

S. No.	System Tender No.	Name of work/ Description of work	Probable Amount of Contract (in Rupees)	Invite
1	192552	वाई क्रमांक 18 अंतर्गत शा.प्रा. शाला कम्यूनिटी हॉल शुद्धिारी जनता कालोनी तिलक नगर का जीर्णोद्धार कार्य।	40,00,000.00	द्वितीय निविदा आमंत्रण

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal <https://eproc.cgstate.gov.in> from 04/06/2026, 17:30 Hours(IST) on wards. For more details on the tender and bidding process you may please visit the above-mentioned portal.

NOTE:- 1. All eligible/interested contractors are mandated to get enrolled on e-Procurement portal.

2. Contractors can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of Electronic Procurement System. Help Desk at Toll Free No. 18004199140 or through Email ID- helpdesk.eproc@cgswan.gov.in

3. For More Details please download NIT details.

**घरों से निकलने वाले गीला और सूखा,
कचरे को साफाई (मित्र) वाहन को देवें।**

ZONE COMMISSIONER
ZONE NO. - 1
MUNICIPAL CORPORATION, RAIPUR (C.G.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा. क्र./03/संपत्तिकर/स्वाभित्व हस्तांतरण/20226-27/3792/				कोरबा, दिनांक 02/06/2026				
संपत्ति स्वाभित्व हस्तांतरण हेतु आम सूचना								
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों का स्वाभित्व हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुए है, जिस पर आम सूचना प्रकाशन के 30 दिवस बाद निर्णय लिया जायेगा। इस हस्तांतरण के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आम सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर लिखित आपत्ति मय प्रमाण के नगर पालिक निगम कार्यालय साकेत भवन आई.टी.आई. रामपुर कोरबा (छ.ग.) में प्रस्तुत की जा सकेगी।								
क्र.	स्वाभित्व हस्तांतरणकर्ता (विक्रेता) का नाम एवं पता	हस्तांतरण के प्रकार	हस्तांतरिता (क्रेता) का नाम एवं पता	खसरा नंबर	रकबा	वाई क्र.	भवन/प्लॉट नंबर	भूमि/भवन
1	श्रीमती कोशिल्या बाई पति श्री रमेश कुमार पंजवानी, निवासी पुरानी बस्ती, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)	पंजीकृत बिक्रीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर	श्री बलभद्र सिंह पिता स्व श्री चन्द्रभानु सिंह राजकुट, निवासी, पुरानी बस्ती, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1013/4	5	हिसमीत भूमि एवं उस पर 1050 वर्गफुट पर निर्मित मकान	6	59 भूमि, भवन
2	श्रीमती लाजवंती बाई पति श्री अशोक कुमार पंजवानी, निवासी पुरानी बस्ती कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)	पंजीकृत बिक्रीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर	श्री बलभद्र सिंह पिता स्व श्री चन्द्रभानु सिंह राजकुट, निवासी, पुरानी बस्ती, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1013/5	5	हिसमीत भूमि एवं उस पर 1050 वर्गफुट पर निर्मित मकान	6	59/1 भूमि, भवन
3	श्री प्रेम कुमार पिता श्री दामोदरन नायर, निवासी मकान नम्बर-714, साई विहार, ब्राम्हण गली, पुरानी बस्ती, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	पंजीकृत बिक्रीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर	श्रीमती बबिता देवी सोनार पति श्री संजु लाल सोनार, निवासी सर्वमंगला पारा, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	972/7	0.004	हेक्टेयर भूमि एवं उस पर 436 वर्गफुट का आरसीसी युक्त मकान	6	722 भूमि, भवन
4	श्री माधव दास पिता स्व. श्री लीला राम रमानी, निवासी 635, साई विहार, ब्राम्हण गली, कोरबा, जिला-कोरबा (छग0)	पंजीकृत बिक्रीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर	श्रीमती हीरा देवी रामचंदानी पति स्व श्री नारायण रामचंदानी, निवासी मकान नम्बर 407, सिन्धी मोहल्ला, रानी रोड, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1034/3	2180	वर्गफुट भूमि एवं उस पर 1800 वर्गफुट का निर्मित आरसीसी युक्त मकान	7	42 भूमि, भवन
5	श्रीमती माया देवी पति स्व श्री आनंद राम, निवासी वाई क्रमांक 07, इतवारी बाजार, कोरबा, जिला कोरबा (छग0)	फौती दर्ज एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर	श्री रामचंद्र बुधवानी पिता स्व श्री आनंदराम बुधवानी, निवासी वाई क्रमांक 07 इतवारी बाजार, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	497/90	5	हिसमीत भूमि एवं उस पर निर्मित भवन	7	440 भूमि, भवन
6	श्रीमती रेणु देवी अग्रवाल पति श्री जय सिंह अग्रवाल निवासी अग्रसेन मार्ग, कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)	पंजीकृत बिक्रीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर	श्रीमती वीणा भावानी पति श्री महेश भावानी एवं श्री चंद्रशेखर भावानी, पिता श्री महेश भावानी, निवासी प्लॉट नम्बर-03, इंदिरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टी पी नगर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	316/20 316/23 316/30 316/31 316/35 316/49 316/57 316/63	प्रथम तल पर 1615 वर्गफुट का निर्मित प्लॉट	14	पावर एम्प्लोरिया प्रकोष्ठ का निर्मित प्लॉट फ. 09 (A-F)	भवन
नोट :- निधारित सहाय्यधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।				आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)				



5

समस्या निवारक
आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स

- 👁 Eye Strain
- 👁 Eye Dryness
- 👁 Eye Tiredness
- 👁 Eye Freshness
- 👁 Eye Cleanliness

आँखों की थकान का आसान समाधान

12 गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियों जैसे गुलाब, तुलसी, आंवला, नीम, पुदीना, शहद इत्यादि के योग से बनी 'आई मंत्रा' आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आँखों में होने वाली समस्याओं जैसे आँखों की थकान, आँखों का सूखापन, आँखों पर दबाव कम कर उन्हें स्वस्थ व शीतल रखने में सहायक है। आयुर्वेदिक होने के कारण यह सुरक्षित है एवं इसका आँखों पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता।

AYURVEDIC

EYE RELIEF DROPS

24x7 Helpline: 8196822222 •

www.eyemantra.com

Available at all leading medical stores

Clinically Tested*

*For efficacy and safety.



दुनिया की सबसे खतरनाक दवाई गर्भ में खा जाता था बच्चों का अंग

बर्लिन। दुनिया के चिकित्सा इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो आज भी रंगते खड़े कर देती हैं। इन्हीं में से एक है थैलीडोमाइड दवा की कहानी। 1950 के दशक में मॉर्निंग सिकनेस यानी गर्भावस्था में उल्टी-मितली से राहत दिलाने के लिए यह दवा दी जा रही थी। डॉक्टर इसे पूरी तरह सुरक्षित बता रहे थे, लेकिन इसने गर्भ में पल रहे बच्चों को भयानक नुकसान पहुंचाया।

थैलिडोमाइड दवा सबसे पहले जर्मनी में विकसित की गई थी। इसे 1957 में बाजार में लाया गया और जल्द ही 40 से ज्यादा देशों में बेचा जाने लगा। महिलाएं इसे नौद की दवा, तंत्रिका कम करने और मॉर्निंग साइकनेस के इलाज के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था लेकिन, 1960 के आसपास डॉक्टरों को एक अजीब पैटर्न नजर आने लगा। कई महिलाएं ऐसे बच्चों को जन्म दे रही थीं, जिनके हाथ या पैर बिल्कुल नहीं थे, या बहुत छोटे और विकृत थे। जैसा कि गई तो खौफनाक खुलासा हुआ।

बच्चों को हो रहा था नुकसान

डॉक्टर ने पाया कि जो महिलाएँ गर्भावस्था में इस दवा का सेवन कर रही थीं, उनके कुछ बच्चों के कान नहीं थे, अथवा प्रभावित थीं या आंखों के अंग क्षतिग्रस्त थे। कई बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाते थे। जर्मन के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विट्टुकिज लेंज ने इसकी जांच की और पाया कि समस्या एंटीलियोडाइड दवा से जुड़ी है। यह दवा गर्भावस्था के शुरुआती 20-36 दिनों में भ्रूण के विकास को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी— ठीक उसी समय जब कई महिलाओं को पता भी नहीं होता कि वे गर्भवती हैं। जब दवा को बाजार से हटाया गया (1961), तब तक नुकसान हो चुका था। दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा बच्चे विकलांग पैदा हुए थे। हजारों गर्भावता में मृत जन्म की हथुड़े थीं। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देश शामिल थे।

अद्भुत

जंगल से
रेगिस्तान पहुंच
जाते हैं लोग

प्रासिलिया। पृथ्वी पर कौन सी जगह है जो देखकर लगेगा है कि प्रकृति ने अपना जादू दिखा दिया हो। ब्राजील के मरानाओ राज्य में स्थित लेनोमोस मारान्हेंस ही एक अनोखी जगह है जहाँ जंगल और रेगिस्तान का मिलन होता है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सफेद रेत के विशाल दीवारों तक तपक और हरे-भरे वनस्पति वाले क्षेत्र दूसरी तरफ देखे। देखकर पर्यटक दंग रह जाते हैं। ये जगह इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। पटकत फोटो आकर वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं। इस जगह को देखकर सोना लगता है कि जो दुनिया का मिलन रहे रहा है।

आँखों की थकान का आसान समाधान

12 गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे गुलाब, तुलसी, आंवला, नीम, पुदीना, शहद इत्यादि के योग से बनी 'आई मंत्रा' आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आँखों में होने वाली समस्याओं जैसे आँखों की थकान, आँखों का सूखापन, आँखों पर दबाव कम कर उन्हें स्वस्थ व शीतल रखने में सहायक है। आयुर्वेदिक होने के कारण यह सुरक्षित है एवं इसका आँखों पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता।

AYURVEDIC
EYE RELIEF DROPS

24x7 Helpline: 8196822222 •
www.eyemantra.com
 Available at all leading medical stores

**Clinically
Tested***

*For efficacy and safety.

प्रकृति का सुपरहीरो, न दर्द होता है, न बुढ़ापा आता है

नई दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे जीव नेकेड जिले के बारे में बताते जा रहे हैं, जोसे न तो दूध का अहसास होता है और न ही कैन्सर जैसी घातक बीमारी उसका कुछ खिगाड़ सकती है। इस जीव के कारनामों भी किसी सुपरहीरो से कम नहीं हैं। जब बात अजीबोगरीब जीवों की आती है, तो

हरान कर देती है। ऐसा ही एक जीव है 'नेकेड मोल रैट'। पहली नजर में देखने पर यह किसी झुर्रिदार, बिना बालों वाले छोटे से चूहे जैसा दिखता है, लेकिन इसके कारणमाे किसी सुपरहीरो से कम नहीं है। बिना ऑक्सीजन 18 मिनट तक जिन्दा : आम चूहे या इंसान बिना ऑक्सीजन के कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं, लेकिन

नेकेड मोल रैट बिना ऑक्सीजन के भी करीब 18 मिनट तक बड़े आराम से रह सकता है। जब ऑक्सीजन खत्म होती है, तो यह जीव इसांकों की तरह ग्लूकोज का इस्तेमाल करना बंद कर देता है और फ्रुक्टोज से एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। यह खूबी आमतौर पर केवल पौधों में पाई जाती है, लेकिन यह स्तनधारी जीव भी ऐसा करने में सक्षम है।

कालड़ा बर्न एवं

एलास्टिक कॉस्मेटिक सॉलरी सेंटर

■ कन्सर
 ■ जांघ,
 ■ आर्म
 ■ वक्ष स्थल
 ■ शरीर के अन्य
 हिस्सों का लेजर द्वारा
 लाइपोजक्शन

उ.प्र. शासन से मान्यता प्राप्ता

आर.के.पी.के. सामने, चौथे कालोनी एवं चपरासी
 नामा, धनगढ़ रोड कलसों में के पास, कलस
 कॉल : 9827143060/8871003060

**सबसे भयानक दर्दों
में से एक है।
जिसे कोई भी व्यक्ति
अनुभव कर सकता है।**

इसके लक्षण कारण और उपाय
जानने के लिए संपर्क करें

**24 Hours Helpline
9926386660**

**कोटा-गुदियारी रोड़,
होटल पिकाडली के पीछे, रायपुर**

CCPL SEASON 3

**LUCKY DRAW
ON EVERY MATCH DAY**



MATCH 2 & 3

LUCKY DRAW WINNERS | 4TH JUNE

PRIZE MONEY 10,000 EACH

**Aman Kumar (Raipur), Himanshi Sahu (Raipur), Amit Kumar Martin (Bagbahra), Ansh Navrange (Sybahar),
mkar Deshmukh (Mahasamund), Chovaram Narange (Raipur), Rajan Kumar (Raipur), Vikash Kumar Ausar (Mahasamund),
Kunal Singh Sahuya (Raipur), Piyush Kumar (Balod)**

FREE ENTRY

MATCH SCHEDULE

 V_S 

DAY 4

MATCH 6 | 6 JUNE SAT | 3:00 PM

 V_S 

DAY 4

MATCH 7 | 6 JUNE SAT | 7:30 PM

**SHAHEED VEER NARAYAN SINGH INTERNATIONAL
CRICKET STADIUM, NAVA RAIPUR.**

